Registered No. N 98.

ANNEXURE 1

OFFICE OF THE MANAGER ... Received on...

The Jaipur Gazette.

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY.

Vol. LXI | 12th AUGUST, 1943. | No. 5311

OFFICE OF THE CHIEF SECRETARY.

NOTIFICATION.

Jaipur, the 10th August, 1943.

No. 823/A.M.—The Government of Jaipur are pleased to order that the exemption hitherto enjoyed under Section 3 (C) of the Rules under Section 18 of the Criminal Tribes Act, Jaipur State, by the female relatives of the following Mina male members of the Criminal Tribes, who are reported to have joined Birju Singh's gang, be withdrawn and their movements be restricted under Section 11 of the Criminal Tribes Act, 1930 :—

S. No.	Name with parentage.	Caste.	Residence.
1	Mahadeva S/o Arjan Mina	Chaukidar.	V. Chinchrauli P. S. Gudha.
2	Ramdeva S/o Arjan Mina	,,	,, ,,
3	Surjia S/o Mahtia	,,	,, ,,
4	Kalia S/o Samda	,,	V. Pachlangi ,,
5	Ganpata S/o Partia....	,,	V. Papra-Hukam Singh P.S. Gudha
6	Mangia S/o Sedhu	,,	V. Kharkhara P. S. Singhana.
7	Bhura S/o Moti	,,	V. Baral ,, Nawalgarh.
8	Shivnatha S/o Moonga	,,	V. Todpura ,, ,,
9	Harbhagta S/o Salman	,,	V. Kotri ,, Khandela.
10	Mahadeva S/o Mohna	,,	V. Kotri ,, ,,
11	Ladia S/o Dhanna	,,	V. Jakran ,, ,,
12	Moolia *alias* Murlia S/o Sagarya	,,	V. Gorian ,, ,,

RAMESHWAR PRASAD BHARGAVA,
for *Chief Secretary to the Government of Jaipur.*

ऑफिस ऑफ दी चीफ सेक्रेटरी

ऐलान

संख्या ८२३/ए. एम.

जयपुर, १० अगस्त, सन् १९४३

जयपुर गवर्नमैण्ट हुक्म देती है कि मुन्दर्जे जैल मीनगान अक़वाम जरायम पेशा—कि जिनका गिरोह विरजूसिंह डकैत में शरीक होना कहा जाता है—के ज़नाना लवाहक़ीन को क़ायदा नं० (३) हर्फ़ (ज़ीम) (मुरत्तिबा तहत दफ़ा (१८) दस्तूरुल अमल नज़्म व नस्क़ अक़वाम जरायम पेशा, राज सवाई जयपुर, सन् १९३० ई०) की इस्तिस्ना से महरूम किया जाकर उनको ज़ेर दफ़ा नम्बरी ११ दस्तूरुल अमल मज़कूर पाबंद किया जाता है:—

नम्बर शुमार	नाम व वल्दियत	ज़ात	सकूनत
१.	महादेव वल्द अर्जन मीणा	चौकीदार	मौज़े चिंचरौली (थाना गुढा)
२.	रामदेव वल्द अर्जन मीणा	,,	,, ,,
३.	सुरज्या वल्द महत्या	,,	,, ,,
४.	काल्या वल्द समदया	,,	मौज़े पचलंगी (थाना गुढा)
५.	गणपत वल्द परत्या	,,	मौज़े पपड़ा हुक्मसिंह (थाना गुढा)
६.	मांग्या वल्द सेडू	,,	खर्खरा (थाना सिंघाना)
७.	भूरा वल्द मोती	,,	वारल (थाना नवलगढ़)
८.	शिवनाथ वल्द मूंगा	,,	टोडपुरा (थाना नवलगढ़)
९.	हरभगत वल्द सलमन	,,	कोटरी (खण्डेला)
१०.	महादेव वल्द मोहना	,,	कोटरी (खण्डेला)
११.	लाडया वल्द धन्ना	,,	जाखस (थाना खण्डेला)
१२.	मूल्या उर्फ़ सुरल्या वल्द सागरया	,,	गोरयां (थाना खण्डेला)

रामेश्वरप्रसाद सक्सेना,
फ़ॉर चीफ सेक्रेटरी टू दी गवर्नमैण्ट ऑफ़ जयपुर।

the declaration and copies of testimonials will not be considered, nor will applica[illegible] of person already employed be considered if not sent through proper channel.

Any attempt to approach the Chairman will disqualify th- andidate.

N.B.—**Particulars under the following heads should be given in each applicatio[illegible] otherwise the application is liable to be rejected:—**

1. Name of Candidate. 2. Age. 3. Caste. 4. Qualifications (Classified). 5. [illegible] perience. 6. Residence. 7. Declaration.

S. S. SHARMA,
Secretary, Public Service Commissio[illegible]

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT.

NOTIFICATION.

Jaipur, the 5th March, 1948.

No. 615/T.M.—It is notified for general information that the wor[illegible] "Government" wherever it occurs in the rules published *vide* this departmen[illegible] notification No. 508/T.M., dated March 3, 1948, regarding appointment, leave, punish[illegible] ment of officers and servants of Town Municipalities includes Jurisdictional Thikanas[illegible]

R. P. BHARGAVA,
Secretary,
Local Self Government Departme[illegible]

LEGISLATIVE DEPARTMENT

NOTIFICATION.

Jaipur, the 10th March, 1948.

No. 372/L.D.—The Jaipur Village Panchayat Raj Bill (No. 10 of 1948), whi[illegible] was introduced in the Legislative Council at Sixth Session held in February, 1948, [illegible] being published in Part III of the Jaipur Gazette, dated the 15th March, 1948.

The public are hereby invited to express their opinion on, and to suggest amen[illegible] ments in, the provisions of the said Bill in writing.

All opinions and amendments should be addressed to the Secretary, Legislati[illegible] Council, Jaipur, and should be forwarded so as to reach him on or before the 15th [illegible] May, 1948.

KALURAM AGRAWA[illegible]
Secretary,
Legislative Council, Jaipu[illegible]

OFFICE OF THE INSPECTOR-GENERAL OF POLICE

NOTICE.

The "M" passes of the following Mina Chowkidars have been cancelled as the[illegible] have been found to have harboured proclaimed offenders Lalia and Sandia:—

1. Hardeva Mina Chowkidar of village Bhaipura under Police Station Lalsoth.
2. Jhuntia Mina Chowkidar of village Gandlai, P.S. Lalsoth.
3. Badri Mina Chowkidar of village Nangal, P.S. Dausa.

4. Bhonria Mina Chowkidar of village Parasoli, P.S. Dausa.
5. Amra Mina Chowkidar of village Parasoli, P.S. Dausa.
6. Moolia Mina Chowkidar of village Parasoli, P.S. Dausa.
7. Ram Narin Mina Chowkidar of village Barwa, P.S. Dausa.
8. Jawahra Mina Chowkidar of Bassi, P.S. Bassi.
9. Ram Chandar Mina Chowkidar of Bassi, P.S. Bassi.
10. Kaliyana Mina Chowkidar of village Gudha, P.S. Bassi.
11. Gopi Mina Chowkidar of village Chawandia, P.S. Bassi.
12. Gobindo Mina Chowkidar of village Chawandia, P.S. Bassi.
13. Ladia Mina Chowkidar of village Chawandia, P.S. Bassi.
14. Balia Mina Chowkidar of village Bhajupura, P.S. Bassi.
15. Kalia Mina Chowkidar of village Bhajupura, P.S. Bassi.
16. Mahadova Mina Chowkidar of village Bhajupura, P.S. Bassi.
17. Bhura Mina Chowkidar
18. Govinda Mina Chowidar
19. Jhunta Mina Chowkidar
20. Sadia Mina Chowkidar
21. Meda Mina Chowkidar
22. Partiya Mina Chowkidar
23. Badri Mina Chowkidar
24. Sukhla Mina Chowkidar

} All of village Bhajupur under P.S. Bassi.

25. Kalyiana Mina Chowkidar of village Tilokpura, P.S Bassi.
26. Komala Mina Chowkidar
27. Chhaju Mina Chowkidar

} Both of village Tilokpura under P.S Bassi.

28. Chhaju Mina Chowkidar of village Dhinawala, P.S. Bassi.
29. Bhonria Mina Chowkidar of Bansko, P.S. Bassi.
30. Dhonkla Mina Chowkidar of village Patalwas, P.S. Bassi.
31. Kanhiya Mina Chowkidar of village Patalwas, P.S. Bassi.
32. Sultana Mina Chowkidar of village Patalwas, P.S. Bassi.
33. Shiva Nath Mina Chowkidar of village Paliawas, P. S. Bassi.
34. Jagan Nath Mina Chowkidar village of Paliawas, P. S. Bassi.
35. Narain Mina Chowkidar of village Dhanao, P.S. Bassi.
36. Bhonria Mina Chowkidar of village Doongar-ka-Deoda, P.S. Jumwa Ramgarh.
37. Ranjita Mina Chowkidar of village Kheonwas, P.S. Jumwa Ramgarh.
38. Jawahra Mina Chowkidar of village Jagmalpura, P.S. Jumwa Ramgarh.
39. Kaliyana Mina Chowkidar of village Jagmalpura, P.S. Jumwa Ramgarh.
40. Narsinga Mina Chowkidar of village Jagmalpura, P.S. Jumwa Ramgarh.
41. Umda Mina Chowkidar of village Newar under P.S. Jumwa Ramgarh.
42. Dhanna Mina Chowkidar of village Newar under P.S. Jumwa Ramgarh.
43. Kaliyana Mina Chowkidar of village Bhhoj, P.S Jumwa Ramgarh.
44. Mangia Mina Chowkidar of village Booj, P.S. Jumwa Ramgarh.
45. Ananda Mina Chowkidar of village Booj, P.S. Jumwa Ramgarh.
46. Sanwatia Mina Chowkidar of Deogaon under P.S. Chaksu.
47. Jagan Nath Mina Chowkidar of village Deongaon, P.S. Chaksu.
48. Sonia Mina Chowkidar of village Deogaon, P.S. Chaksu.

JAI SINGH,
for *Inspector-General of Police,*
Jaipur State.

10. Balai (who have abandoned the occupation of removing dead bodies of animals and now work as labourers on construction works).
11. Bharatpuria Chamar or Yadav (who work as labourers on construction works).

List No. 2.

(In the Census of 1941 these tribes have been regarded as Primitive or Criminal tribes).

PRIMITIVE TRIBES.

1. Bhil.
2. Meena.
3. Garasia.
4. Rawat.
5. Merat.

CRIMINAL TRIBES.

6. Nayak.
7. Mogia.
8. Sandhia.
9. Kuchbande.
10. Kheruye.
11. Sansi.
12. Kanjar.
13. Bagari.

The Harijan Uplift Officer includes these tribes in the list of Harijans.

List No. 3.

(Backward Classes other than those included in lists Nos. 1 & 2).

Scheduled Caste—Backward Classes.

1. Ganchha.
2. Kalbelia.
3. Bhil Dholi.
4. Bedia.
5. Basod.
6. Chirada.
7. Bushta.
8. Chungar.
9. Dhankia
10. Mahar.
11. Kania.
12. Khant.

13. Chamta.
14. Jateem.
15. Bachhada.
16. Kanwai.
17. Pasi.
18. Bedani.
19. Sehar (Sehaira).
20. Ahedi.
21. Jankh.
22. Bhambi.
23. Sarbhangi.
24. Khatik.
25. Koli.
26. Haila.
27. Nat.
28. Raval.
29. Regar.
30. Megwal Chamar.
31. Kasai.
32. Thori.
33. Dabgar.
34. Mahatar Chamar.
35. Bola Chamar.
36. Dhedh.
37. Dhandhi.
38. Dom.
39. Kamad.
40. Chandal.
41. Kangi.
42. Jatava.
43. Metar.
44. Gavaria.
45. Nomadi.
46. Badi.
47. Bayegi.
48. Dakot.
49. Disantri
50. Dhobi.
51. Dholi.
52. Gancha Mehtar.
53. Garoda.
54. Jatia.
55. Khatka.
56. Mochi.
57. Sargada.
58. Satia.

Regd. No. S.P.S. 128 Regd. No. N. 1239

राजस्थान राज-पत्र

विशेषांक

Rajasthan Gazette

EXTRAORDINARY

साधिकार प्रकाशित] [Published by Authority

जिल्द १: संख्या १६९ | फाल्गुन कृष्ण १३, मंगलवार, सम्वत् २००६ | फरवरी १४, १९५०

Vol. 1: No. 169 | *Falgun Krishna 13, Tuesday, 2006* | Feb. 14, 1950

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, फरवरी ११, १९५०

संख्या एफ० ६ (४) जी० ए०।५०.—सन् १९५१ की जन-गणना के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित वन-जातियों और पिछड़ी हुई जातियों की सूचियां इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित की जाती हैं।

यदि किसी जाति को इन सूचियों में सम्मिलित किये जाने या न सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह राजस्थान राज-पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन से १५ दिन के भीतर सुपरिण्टैण्डैण्ट, जन गणना विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, के पास भेजदी जाय।

बी० आर० अडिगे
अतिरिक्त सेक्रेटरी, राजस्थान सरकार।

अनुसूचित जातियों की सूची

सूची नं० १—हरिजन:—हरिजन अपलिफ्ट अफसर साहब उदयपुर ने हरिजन होना दर्ज किया है:—

१. भंगी
२. भंगियों के दमामी गाने-बजाने वाले
३. बागरिया
४. बोला
५. चमार जो मवेशी उठाने का काम करते हैं
६. कंजर
७. सांसी
८. बलाई जो मवेशी उठाने व चमड़ा निकालने का काम करते हैं
९. बावरी
१०. बलाई मुर्दा मवेशी उठाने का काम छोड़ कसठाने का काम करते हैं
११. भरतपुरिया चमार सांनी यादव जो केवल कसठाने का काम करते हैं

सूची नं० २:—सन् ४१ की सैंसस में इनको प्रिमिटीव जरायम पेशा कौमें मानी गई हैं:—

प्रिमिटीव ट्राईब्ज

१. भील
२. मीना
३. गरासिया
४. रावत
५. मेरात

जरायम पेशा

६. नायक
७. सांसिया
८. सांढिये
९. कुचबन्दे
१०. खेरूये
११. सांसी
१२. कंजर
१३. बागरी

(१०–१३) हरिजन अपलिफ्ट अफसर साहब ने इनको हरिजन की सूचि में बतलाया है

सूची नं० ३:—सूची नं० १, २ के अलावा दीगर पिछड़ी हुई जातियां अनुसूचित जातियां (बैकवर्ड क्लासेज)।

१. गांछा
२. कालबेलिया
३. भील ढोली
४. बेड़िया
५. बसोड
६. चिराड
७. बुष्या
८. चूनगर
९. घानकिया
१०. महर
११. कातीया
१२. खांट
१३. चामटा
१४. जटीआ
१५. वाछडा
१६. कतवाई
१७. पासी
१८. बेडनी

१९. सेहर (सेहरिया)
२०. अहेडी
२१. जांख
२२. भाम्बी
२३. सरभंगी
२४. खटीक
२५. कोली
२६. हेला
२७. नट
२८. रावल
२९. रैगर
३०. मेघवाल चमार
३१. कसाई
३२. थोरी
३३. डबगर
३४. महतर चमार
३५. बोला चमार
३६. ढेढ
३७. ढाढी
३८. डोम
३९. झाखण्ड
४०. चाण्डाल
४१. कंगी
४२. जाटव
४३. मेतर
४४. गवारिया
४५. नोसाढी
४६. बाडी
४७. बाएगी
४८. डाकोत
४९. डीसान्त्री
५०. धोबी
५१. ढोली
५२. गांछा महतर
५३. गरोडा
५४. जाटिया
५५. खटका
५६. मोची
५७. सरगडा
५८. साटिया

१९. सेहर (सेहरिया)
२०. अहेडी
२१. जांख
२२. भाम्बी
२३. सरभंगी
२४. खटीक
२५. कोली
२६. हेला
२७. नट
२८. रावल
२९. रैगर
३०. मेघवाल चमार
३१. कसाई
३२. थोरी
३३. डबगर
३४. महतर चमार
३५. बोला चमार
३६. ढेढ
३७. ढाढी
३८. डोम
३९. कामण्ड
४०. चाण्डाल
४१. कंजी
४२. जाटव
४३. मेतर
४४. गवारिया
४५. नोसादी
४६. बाडी
४७. बाएगी
४८. डाकोत
४९. डीसान्त्री
५०. धोबी
५१. ढोली
५२. मांझा महतर
५३. गरोडा
५४. आदिया
५५. सटका
५६. मोची
५७. सरगडा
५८. साटिया

(55U/11

ANNEXURE - 2

CONTENTS

LISTS OF CASTES AND COMMUNITIES

STATES	PAGE NOS. OBC	SC	ST
1. Ajmer	1	131	[illegible]
2. Andaman & Nicobar Islands	3	134	204
3. Andhra	4	135	205
4. Assam	10	138	207
5. Bhopal	13	140	211
6. Bihar	16	142	213
7. Bombay	23	144	214
8. Coorg	42	147	216
9. Delhi	43	148	217
10. Himachal Pradesh	43	151	218
11. Hyderabad	50	153	219
12. Kutch	57	155	220
13. Madras	71	156	221
14. Madhya Bharat	60	161	225
15. Madhya Pradesh	65	163	226
16. Manipur	80	167	231
17. Mysore	81	168	233
18. Orissa	84	175	238
19. Pepsu	91	179	241
20. Punjab	94	182	242
[illegible]	100	185	[illegible]
Saurashtra	106	188	244
Travancore-Cochin	111	189	245
Tripura	114	191	247
Uttar Pradesh	116	193	249
Vindhya Pradesh	121	197	250
West Bengal	125	199	251

सूचना के अधिकार अधिनियम - 2005 के तहत जारी
Issued under Right to Information Act 2005
रा.अ.जनजाति आयोग, क्षे. का. - जयपुर/NCST, RO Jaipur

डॉ. जी.एस. सोमावत
Dr. G.S. SOMAWAT
लोक सूचना अधिकारी
PUBLIC INFORMATION OFFICER
रा.अ.ज.जा.आयोग क्षे.का. जयपुर
NCST, RO, JAIPUR

2	3	4	5
Kumhar	कुम्हार	Potters	3,98,732
Kulbi (S. No. 61)	कुल्बी	Cultivation	(Not available)
Khurdalta	खुरदाल्टा	..	Ditto
Labana	लबाणा	Pack-carriers	Ditto
Lakhera (S. No. 32)	लखेरा	Lac bangle makers	Ditto
Lambuat (S. No. 30)	लाम्बुआत	Personal attendants	(*See* Chakar)
Lohar (S. No. 44)	लोहार	Blacksmiths	(*See* Gadie Lohar)
Lodha	लोधा	Agriculturists	12,086
Maha Brahman	महाब्राह्मण	Funeral priests	1,360
Mali (S. No. 24)	माली	Gardeners and vegetable growers.	4,98,018
Mahawat	महावत	Elephant drivers	762
*Mehara	मेहरा	Muslim sweepers	156
*Merasi, Miras	मेरासी, मिरास	Singers, dancers and musicians.	9,930
Mer	मेर	Agriculturists	778
Merat	मेरात	Ditto	(Not available)
[illegible]		Agriculturists and watchmen.	Ditto
*Miras (S. No. 75)	मिरासी	Singers and dancers	..
*Mogia	मोगिया	Agriculturists	6,369
*Nagarchi (S. No. 39)	नगारची	Musicians and drummers.	(Not available)
Nai (S. No. 5)	नाई	Barbers	1,80,742
Naik	नायक	..	1,24,711
*Niaria	नियारिया	..	5,892
Nilgar, Rangrez	नीलगर, रंगरेज	Dyers	(Not available)
*Od	ओड	Earth workers	14,686
*Payak	पायक	..	277
Patwa, Phadal	पटवा, फड़ाल	Silk braid makers	7,874
Phadal (S. No. 85)	फड़ाल	..	680

1	2	3	4	5
85	Pinjara	पिन्जारा	Cotton scutchers	35,821
	Qassab (S. No. 55)	कासब	Butchers	(Not available)
	Rangaswami (S. No. 46)	रंगास्वामी	..	Ditto
	Rangrez (S. No. 82)	रंगरेज	..	(Included in Chhipa)
87	Rawat	रावत	Agriculturists	44,255
88	Rai	राई	..	(Not available)
	*Rebari	रेबारी	Cattle breeders	1,18,525
89	*Sakka (S. No. 18)	सक्का	Muslim watermen	(Not available)
	Sagarvanshi Mali (S. No. 24)	साग वंशी माली	Vegetable growers	..
	Saini (S. No. 24)	सैनी	Ditto	..
90	*Sad, Santia	सांद, सान्तिया	..	35,240
	*Sansia (S. No. 90)	सांसिया	Castrators or grinders of stone and beggars.	(Not available)
91	*Satiya, Sindhi	सतिया, सिन्धी	..	..
92	*Sehar, Sonsi	सेहर, सौंसी	Cultivators	..
	Sevak (S. No. 22)	सेवक	Servants	Ditto
	*Sindhi (S. No. 91)	सिन्धी	..	20,011
93	*Sikligar	सिकलीगर	Armour makers	7,734
94	Sirkiwala	सिरकीवाला	Grass and bamboo curtain makers.	(Not available)
	*Sonsi (S. No. 92)	सौंसी	Ex. Criminal tribes	Ditto
95	Sutar	सुतार	Carpenters	56,395
96	Tamboli	तम्बोली	Betel growers	8,286
97	Teli	तेली	Oil pressers	1,98,591
	Thathera (S. No. 63)	ठठेरा	Brass vessel makers	6,513
	Ved (S. No. 5)	वेद	Barbers	(*See* Barbers)
98	Sikhs (*vide* Note)	..	..	..
99	Multani	मुलतानी	..	24

सूचना के अधिकार अधि...
Issued under Right to I...
रा.अ.जनजाति आयोग
PUBLIC IN...
Dr.

PUNJAB

List of Scheduled Tribes published under the Constitution (Scheduled Tribes) Order 1950, together with the revision suggested by the Backward Classes Commission

Sl. No.	Existing List	Hindi Equivalent	Estimated Population, 1951	Communities recommended for Exclusion	Communities recommended for Inclusion	Hindi Equivalent	Estimated Population, 1951
1	2	3	4	5	6	7	8
	In Spiti and Lahaul in Kangra District :						
1	Tibetan				1. Gaddi	गद्दी	20,585
					2. Jad, Kanaura*	जाड़, कनौर	(Not available)

*Instead of Tibetan who are really Jad, Kanaura.

RAJASTHAN

List of Scheduled Tribes published under the Constitution (Scheduled Tribes) Order 1950, together with the revision suggested by the Backward Classes Commission

Sl. No.	Existing List	Hindi Equivalent	Population, 1951	Communities recommended for Exclusion	Communities recommended for Inclusion	Hindi Equivalent	Estimated Population, 1951
1	2	3	4	5	6	7	8
	Throughout the Scheduled Areas of the State :-						
	[illegible]	भील	3,16,348		Bhil	भील	4,04,235
					Bhil Mina	भील मीणा	9,33,709
					Damor, Damaria	डमोर, डमरिया	(Not available)
					Garasia (excluding Rajput Garasia).	गरासिया	17,230
					Mina (in Alwar, Bharatpur, Bundi and in Udaipur division excluding Jahajpur Tehsil).	मीणा	(Not available)
					6 Sehria, Sahariya	सेहरिया, सहरिया	Ditto

सूचना के अधिकार अधिनियम - 2005 के
Issued under Right to Information Act
प्र.अ.जनजाति आयोग, क्षे.का. - जयपुर/NCST R.O.
डॉ. जी.एस. सोफत
Dr. G.S. SOFAT
लोक सूचना अधिकारी
PUBLIC INFORMATION OFFICER
रा.अ.ज.जा.आयोग, क्षे.का.
NCST, R.O. JAIPUR

240

ANNEXURE - 3

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October 1956

S.R.O. 2477A.—The following Order made by the President is published for general information:—

THE SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES LISTS (MODIFICATION) ORDER, 1956

In pursuance of section 41 of the States Reorganisation Act, 1956 37 of 1956), and section 14 of the Bihar and West Bengal (Transfer of Territories) Act, 1956 (40 of 1956), the President hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956.

2. (1) The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, is hereby modified in the manner and to the extent specified in Schedule I.

(2) The Constitution (Scheduled Castes) (Part C States) Order, 1951, is hereby modified in the manner and to the extent specified in Schedule II.

3. (1) The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, is hereby modified in the manner and to the extent specified in Schedule III.

(2) The Constitution (Scheduled Tribes) (Part C States) Order, 1951, is hereby modified in the manner and to the extent specified in Schedule IV.

SCHEDULE I

[See paragraph 2 (1)]

Modifications to the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.

1. In paragraph 2, for "Parts I to XVI", substitute "Parts I to XIII".

2. For paragraph 4, substitute:—

"4. Any reference in this Order to a State or to a district or other territorial division thereof shall be construed as reference to the State, district or other territorial division, constituted as from the 1st day of November, 1956."

3. For the Schedule, substitute:—

"THE SCHEDULE

PART I—ANDHRA PRADESH

1. Throughout the State:—

1. Chalavadi
2. Chamar, Mochi or Muchi
3. Madiga
4. Mala

272 M. of H. A.

4

(Dr. S. S. SONAWA...)

282

53. Oraon
54. Parenga
55. Paroja
56. Pentia
57. Rajuar
58. Santal
59. Saora, Savar, Saura or Sahara
60. Shabar or Lodha
61. Sounti
62. Tharua

PART X.—PUNJAB

In Spiti and Lahaul in Kangra district:—

1. Gaddi
2. Swangla
3. Bhot or Bodh

PART XI.—RAJASTHAN

1. Throughout the State *except* Ajmer district, Abu Road taluka of Sirohi district and Sunel Tappa of Jhalawar district:—

1. Bhil
2. Bhil Mina
3. Damor, Damaria
4. Garasia (excluding Rajput Garasia)
5. Mina
6. Sehria, Sahariya

2. In Ajmer district:—

1. Bhil
2. Bhil Mina

3. In Abu Road taluka of Sirohi district:—

1. Barda
2. Bavacha or Bamcha
3. Bhil, including Bhil Garasia, Dholi Bhil, Dungri Bhil, Dungri Garasia, Mewasi Bhil, Rawal Bhil, Tadvi Bhil, Bhagalia, Bhilala, Pawra, Vasava and Vasave
4. Chodhara
5. Dhanka, including Tadvi, Tetaria and Valvi
6. Dhodia

(डॉ. जी. एस. सोमावत)
(Dr. G. S. SOMAWAT)
निदेशक / Director
... अनुसूचित जनजाति ...
भारत सरकार / Govt. of India
... कार्यालय, जयपुर (राज.)

7. Dubla, including Talavia or Halpati
8. Gamit or Gamta or Gavit, including Mavchi, Padvi, Vasava, Vasave and Valvi
9. Gond or Rajgond
10. Kathodi or Kathari, including Dhor Kathodi or Dhor Katkari and Son Kathodi or Son Katkari.
11. Kokna, Kokni, Kukna
12. Koli Dhor, Tokre Koli, Kolcha or Kolgha
13. Naikda or Nayaka, including Cholivala Nayaka, Kapadia Nayaka, Mota Nayaka and Nana Nayaka
14. Pardhi, including Advichincher and Phanse Pardhi
15. Patelia
16. Pomla
17. Rathawa
18. Varli
19. Vitolia, Kotwalia or Barodia

4. In Sunel Tappa of Jhalawar district:—

1. Gond
2. Korku
3. Seharia

PART XII—WEST BENGAL

1. Throughout the State:—

1. Ho,
2. Kora
3. Lodha, Kheria or Kharia
4. Mal Pahariya
5. Munda
6. Oraon
7. Santal

2. Throughout the State except the territories transferred from the Purnea district of Bihar:—

Bhumij

3. Throughout the State except in the Purulia district and the territories transferred from the Purnea district of Bihar:—

1. Bhutia including Sherpa, Toto, Dukpa, Kagatay, Tibetan and Yolmo
2. Chakma
3. Garo

(डॉ. जी. एस. सोमावत)
(Dr. G. S. SOMAWAT)
निदेशक / Director
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार /Govt of India
क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर (राज.)

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ANNEXURE 4

क्रमांक : एफ1(8)( )/सामा./लो.सू.अ./सान्याअवि/08/1589 जयपुर, दिनांक 12/1/2009

श्री जानकी लाल मीणा पुत्र
श्री बालू राम मीणा,
निवासी–बेरिया बस्ती,
शास्त्री नगर जयपुर।

विषयः– सूचना के अधिकार अभिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने बाबत।

प्रसंगः– आपका पत्र दिनांक 22.12..2008

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा चाही गई सूचना के सन्दर्भ में लेख है कि बिन्दू संख्या 1 में वर्णित पत्र क्रमांक 47563–62 दि. 01.9.75 की प्रति उपलब्ध नहीं है। तथा बिन्दू संख्या 2 के अन्तर्गत संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश 1950 से उद्वरण एवं राजस्थान राज्य से सम्बन्धित अनुसूचित जातियें/जनजातियां की सूची संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

उप निदेशक (प्रशासन)
सहायक लोक सूचना अधिकारी

E:\estb\lok\letter.doc

11. मङ्गरा
12. मेहतर या भंगी
13. मोची या ऋषि
14. नामशूद्र
15. पातनी
16. सुलक्षर।

भाग 17—त्रिपुरा

समस्त राज्य में —

1. बागड़ी
2. बैटी
3. भूईमाली
4. भुनर
5. चमार या मुची
6. डन्डासी
7. धनुग्रा
8. धोबी
9. दुग्रई
10. डोम
11. घासी
12. गौड़
13. गुनार
14. गुर
15. गरंग
16. जालिया कैवर्त
17. कहार
18. कालिन्दी
19. कान
20. कंडा
21. कनुंध
22. केवट
23. खादित
24. खरिया
25. खेमचा
26. कोछ
27. कोयर
28. कोल
29. कोरा
30. कोटाल
31. महिष्यदास
32. माली
33. मैहतर
34. मूसाहार
35. नामशूद्र
36. पातनी
37. सबर।

संविधान (अनुसूचित जन जातियां) आदेश 1950 से उद्धरण

सां० आ० 22]

भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने सम्बद्ध राज्यों के राज्यपालों और राजप्रमुखों से परामर्श करने के पश्चात् अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात्:—

* * * *

3. अनुसूची के भाग 4 और भाग 7क को सिवाय इस आदेश के राज्य के या उसके जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह नवम्बर, 1956 के प्रथम दिन से गठित उस राज्य, जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति निर्देश है, और अनुसूची के भाग 4 और भाग 7क में किसी राज्य या उसके जिले या अन्य प्रादेशिक खंड के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह मई, 1960 के प्रथम दिन से गठित उस राज्य, जिले या अन्य खण्ड के प्रति निर्देश है; भाग 13 में किसी राज्य या उसके जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया, जाएगा कि वह हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 की धारा 2 के खण्ड (ख) के अधीन नियत दिन से गठित राज्य, जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति निर्देश है और भाग 14 से 16 तक में राज्य के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा 2 के खण्ड (ख) के अधीन नियत दिन से गठित राज्य के प्रति निदश है ।

59. सर्वा, सवर, सौरा या सेहरा
60. शवर या सोधा
61. साउन्ती
62. थारुआ।

भाग 11—राजस्थान

1. अजमेर जिले, सिरोही जिले के आबू रोड तालुका और झालावाड़ जिले के सुनेल टप्पा के सिवाय समस्त राज्य में—

1. भील
2. भील मीना
3. डामोर, डामरिया
4. गरासिया (राजपूत गरासिया को छोड़कर)
5. मीणा
6. सेरिया, सहेरिया।

2. अजमेर जिलों में—

1. भील
2. भील मीना।

3. सिरोही जिले के आबू रोड तालुका में—

1. वर्डा
2. बावचा या बामचा
3. भील जिनके अन्तर्गत भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिय, भिलाला, पावरा, वसावा और वसावे आते हैं
4. चोधरा
5. तडवी, तेतारिया और वलवी सहित धाणका
6. धोडिया
7. तलाविया या हलपती सहित दुबला
8. मावची, पाडवी, वसावा, वसावे और वलवी सहित गामीत या गामाटा या गावीत
9. गोंड या राजगोंड
10. ढोर काथोड़ी या ढोर कातकरी और सोन काथोड़ी या सोन कातकारी के सहित काथोड़ी या कातकरी
11. कोकना, कोकनी, कुकना
12. कोली ढोर, टोकरे कोली, कोलचा या कोलघा
13. चोलिवाला नायका, कपाडिया नायका, मोटा नायका, और नाना नायका सहित नायकडा या नायका
14. अडवीचिंचेर और फांसे पारधी सहित पारधी
15. पटेलिया
16. पोमला
17. राठवा
18. वारली
19. वीठोलिया, कोठोवालिया या बारोडिया।

4. झालवाड़ा जिले के सुनेल टप्पा में—

1. गोंड
2. कोर्कू
3. सेहरिया

भाग 12—पश्चिमी बंगाल

1. समस्त राज्य में—

1. हो
2. कोड़ा
3. लोधा, खेड़िया या खेड़ियी
4. भाल पहाड़िया
5. मुंडा
6. ओरांव
7. संथाल

ANNEXURE - 5

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976

(1976 का अधिनियम संख्यांक 108)

[1 अक्तूबर, 1979 को यथाविद्यमान]

[18 सितम्बर, 1976]

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कतिपय जातियों और जनजातियों को सम्मिलित करने और उनसे उन्हें अपवर्जित करने के लिए, जहां तक कि ऐसे सम्मिलित या अपवर्जित किए जाने के कारण संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन करना आवश्यक हो जाता है वहां तक ऐसे पुनः समायोजन के लिए और उनसे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "जनगणना प्राधिकारी" से भारत का महारजिस्ट्रार और पदेन जनगणना आयुक्त अभिप्रेत है;

(ख) "आयोग" से संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है;

1972 का 76

(ग) "परिसीमन अधिनियम" से परिसीमन अधिनियम, 1972 अभिप्रेत है;

(घ) "अन्तिम जनगणना" से भारत में 1971 में की गई जनगणना अभिप्रेत है;

Attested

(पी.के. कैलाशा बाबू)
नियंत्रक प्रकाशन
प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स
दिल्ली-110054

(... कैलाशा बाबू)
नियंत्रक प्रकाशन
प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स

(ङ) "अनुसूचित जातियां आदेश" से संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किया गया संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 अभिप्रेत है;

(च) "अनुसूचित जनजातियां आदेश" से संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किए गए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 तथा संविधान (अण्डमान और निकोबार द्वीप) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959 अभिप्रेत हैं;

(छ) "राज्य" से ऐसा राज्य अभिप्रेत है जो अनुसूचित जातियां आदेश और अनुसूचित जनजातियां आदेशों में सम्मिलित है और इसके अन्तर्गत अण्डमान और निकोबार द्वीप संघ राज्यक्षेत्र भी है।

अनुसूचित जातियां आदेश का संशोधन।

3. अनुसूचित जातियां आदेश, प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से और विस्तार तक इसके द्वारा संशोधित किया जाता है।

अनुसूचित जनजातियां आदेशों का संशोधन।

4. अनुसूचित जनजातियां आदेश, द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से और विस्तार तक इसके द्वारा संशोधित किए जाते हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अवधारण।

5. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशीघ्र, प्रत्येक राज्य में, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या जैसी कि वह अन्तिम जनगणना के समय थी, जनगणना प्राधिकारी द्वारा अभिनिश्चित या प्राक्कलित की जाएगी।

(2) जहां धारा 3 या धारा 4 द्वारा किए गए संशोधनों के कारण,—

(क) किसी राज्य में किसी परिक्षेत्र में, जो उक्त धाराओं में निर्दिष्ट आदेशों की अनुसूचियों के भागों में से किसी भाग में किसी जाति या जनजाति के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट है, इसलिए परिवर्तन किया जाता है कि ऐसी जाति या जनजाति के सम्बन्ध में बड़ा क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया जा सके, वहां जनगणना प्राधिकारी अन्तिम जनगणना में और किसी पूर्वतन जनगणना में जिसमें वर्धित क्षेत्र के संबंध में उस जाति या जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े अभिनिश्चित किए गए थे, यथा अभिनिश्चित उस जाति या जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े हिसाब में लेगा और वह ऐसे आंकड़ों में उस अनुपात से जिसमें उस राज्य की या, यथास्थिति, खण्ड, जिले, तालुक, तहसील, पुलिस थाने, विकास खंड या अन्य प्रादेशिक खण्ड की साधारण जनसंख्या में जिसके संबंध में ऐसी जाति या जनजाति उक्त संशोधनों द्वारा विनिर्दिष्ट की गई है, पूर्वोक्त पूर्वतन जनगणना और अन्तिम जनगणना के बीच वृद्धि या कमी हुई है, वृद्धि या कमी करके उस जाति या जनजाति की जनसंख्या का जो 1 अप्रैल, 1971 को थी, अवधारण करेगा;

(ख) किसी जाति या जनजाति में, जो किसी राज्य या उसके भाग के संबंध में कोई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों समझी

Attested

(पी.के. कैलाशा बाबू)
नियंत्रक प्रकाशन
प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स
दिल्ली-110054

(3) आयोग—

(क) संशोधनों के लिए अपनी प्रस्थापनाओं को भारत के राजपत्र में, और सम्बद्ध राज्य के राजपत्र में, और ऐसी अन्य रीति से जो वह उचित समझे, प्रकाशित करेगा ;

(ख) वह तारीख विनिर्दिष्ट करेगा जिसको या जिसके पश्चात् वह उन प्रस्थापनाओं पर आगे विचार करेगा ;

(ग) उन सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगा जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व प्राप्त हो गए हैं ; और

(घ) तत्पश्चात् आदेश में आवश्यक संशोधन करेगा ।

आयोग की प्रक्रिया और शक्तियां ।

7. (1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में, आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं अवधारित करेगा और उसे निम्नलिखित विषयों की बाबत वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात् :— 1908 का 5

(क) साक्षियों को समन करना और हाजिर कराना ;

(ख) किसी दस्तावेज़ के पेश किए जाने की अपेक्षा करना ; और

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना ।

(2) आयोग को किसी व्यक्ति से ऐसी बातों और विषयों के बारे में कोई जानकारी देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी जो आयोग की राय में, आयोग के विचाराधीन किसी विषय के लिए, उपयोगी या उससे सुसंगत है ।

(3) आयोग को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा । 1974 का 2

स्पष्टीकरण—साक्षियों को हाजिर कराने के प्रयोजन के लिए, आयोग की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं भारत के राज्यक्षेत्र की सीमाएं होंगी ।

संशोधनों का प्रकाशन और उनके प्रवर्तन की तारीखें ।

8. (1) आयोग संसद् और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में अपने द्वारा किए गए संशोधनों को भारत के राजपत्र में और सम्बद्ध राज्यों के राजपत्रों में प्रकाशित कराएगा ।

(2) भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने पर, प्रत्येक ऐसे संशोधन को विधि का बल होगा और वह किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(3) भारत के राजपत्र में ऐसे प्रकाशन के पश्चात्, यथाशीघ्र, ऐसा प्रत्येक संशोधन लोक सभा और संबद्ध राज्यों की विधान सभाओं के समक्ष रखा जाएगा ।

Attested

(पी.के. कैलाशा बाबू)
नियंत्रक प्रकाशन
प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स,
दिल्ली-110054

15. दाल
16. देसुआ भूमिज
17. धारुआ
18. दिदयी
19. गादवा
20. गांडिया
21. धारा
22. गोंड, गोंडो
23. हो
24. होलवा
25. जातपु
26. जुआंग
27. कंध गोड
28. कावार
29. खडीआ, खडीयां
30. खरवार
31. खोंड, कोंड, कन्ध, नांगुली कन्धा, शीथा कन्धा
32. किसान
33. कोल
34. कोल्हा लोहार, कोल-लोहार
35. कोल्हा
36. कोली, मल्हार
37. कोन्डादोरा
38. कोरा
39. कोरुआ
40. कुटीआ
41. कोया
42. कुली
43. लोधा
44. मादिआ
45. माहालि
46. मांकिडी
47. मांकिरडिआ
48. माटिआ
49. मिर्धा
50. मुंडा, मुंडालोहरा, मुंडा-महाली
51. मुंडारी
52. ओमनात्या
53. ओरांक्
54. पेरेंगा
55. परोजा
56. पेंटिया
57. राजुआर
58. सांताल
59. सवोरा, सवर, सौरा, सहरा
60. शवर, लोधा
61. साउन्ती
62. थारूआ

भाग 13—राजस्थान

1. भील, भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भलाला, पावरा वसवा, वसावे
2. भील मीना
3. डामोर, डामरिया
4. धाणका, तड़वी, तेतारिया, वलवी
5. गरासिया (राजपूत गरासिया से भिन्न)
6. काथोडी, कातकरी, ढोर काथोडी, ढोर कातकरी, सोन काथोडी, सोन कातकरी
7. कोकना, कोकनी, कुकणा
8. कोली, ढोर,टोकरे कोली कोलचा, कोलधा
9. मीना
10. नायकडा, नायक, चोलिवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक
11. पटेलिया
12. सेहारिया, सेहरिया, सहारिया

भाग 14—तमिलनाडु

1. अडियन
2. अरनाडन
3. एरवल्लन
4. इरूलर
5. काइर
6. कम्मारा (कन्याकुमारी जिला और तिरुनेलवेलि जिले के शेन्कोट्टा तालुक को छोड़कर)
7. कनिकरण, कनिकर(कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेलि जिले

Attested

(पी.के. कैलाशा बाबू)
नियंत्रक प्राकाशन
प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स
दिल्ली-110054

गई है, इसलिए परिवर्तन किया जाता है कि ऐसी जाति या जनजाति को ही उस राज्य या उसके भाग के संबंध में किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया जा सके, वहां जनगणना प्राधिकारी अन्तिम जनगणना में यथा अभिनिश्चित ऐसी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े हिसाब में लेगा :

परन्तु जनगणना प्राधिकारी के लिए किसी अनुसूचित जाति या जनजाति की जनसंख्या का जो 1 अप्रैल, 1971 को थी, अवधारण करना उस दशा में आवश्यक नहीं होगा जिसमें उस जाति या जनजाति की जनसंख्या अन्तिम जनगणना में और पूर्वतन जनगणनाओं में से किसी जनगणना में अभिनिश्चित नहीं की गई थी और उस प्राधिकारी की राय में संख्या में कम है ।

स्पष्टीकरण—जहां खंड (क) में निर्दिष्ट किसी वर्णित क्षेत्र के संबंध में किसी जाति या जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े एक से अधिक पूर्वतन जनगणनाओं में अभिनिश्चित किए गए थे वहां जनगणना प्राधिकारी, उस खंड के प्रयोजनों के लिए, पूर्वतन जनगणना में यथा अभिनिश्चित ऐसी जाति या जनजाति की ऐसी जनसंख्या के आंकड़े हिसाब में लेगा जो समय की दृष्टि से अन्तिम जनगणना के निकटतम हैं ।

(3) उपधारा (2) के अधीन अभिनिश्चित या अवधारित जनसंख्या के आंकड़े जनगणना प्राधिकारी द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे ।

(4) इस प्रकार अधिसूचित जनसंख्या के आंकड़े अन्तिम जनगणना के समय यथा अभिनिश्चित सुसंगत जनसंख्या के आंकड़े माने जाएंगे और पूर्व प्रकाशित आंकड़ों को अतिष्ठित करेंगे; और इस प्रकार अधिसूचित आंकड़े अन्तिम होंगे और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किए जाएंगे ।

निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन-क्षेत्रों का पुनः समायोजन ।

6. (1) धारा 5 के अधीन किसी राज्य के संबंध में जनसंख्या के आंकड़ों के अधिसूचित किए जाने के पश्चात्, आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह, संविधान के अनुच्छेद 81, 170, 330 और 332 के, परिसीमन अधिनियम की धारा 8 के और इस अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में (ऐसे आदेश में दिए गए किसी निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में परिवर्तन किए बिना), ऐसे संशोधन करे जो उस राज्य को, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों को या अनुसूचित जनजातियों को ऐसे आदेश में जो आयोग द्वारा इसके अधीन संशोधित किया जाए, यथा विनिर्दिष्ट आरक्षित स्थानों की संख्या के आधार पर समुचित प्रतिनिधित्व देने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों, और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसूची के बारे में
1950 का 43 यह समझा जाएगा कि तदनुसार उनका संशोधन किया गया है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई संशोधन करने में, आयोग, जहां तक आवश्यक हो, परिसीमन अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) और खण्ड (घ) के उपबन्धों को ध्यान में रखेगा ।

Attested

(पी.के. कैलाशा बाबू)
नियंत्रक प्रकाशन
प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स,
दिल्ली-110054

संख्या–46V1/26-3-.012
A. D.M. (E) / RA-2 / 28/11

प्रेषक,

सदाकान्त,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बदायूँ।

समाज कल्याण अनुभाग–3

लखनऊ, दिनांक, 20 नवम्बर 2012

विषय:– "मीना" जाति के प्रवासित व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री धर्मेन्द्र यादव, मा0 सांसद के पत्र दिनांक 31.07.2012 (प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि आपके जनपद में 'मीना' जाति के प्रवासित व्यक्तियों, जो अपने नाम के साथ मैना या मीणा जाति सूचक उपाधियां लगाते हैं, को जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में कठिनाई हो रही है। इस संबंध में शासनादेश संख्या 4370/26–3–2001–3(28)/78, दिनांक 27.09.2001 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में उक्त शासनादेश दिनांक 27.09.2001 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। इस शासनादेश के अनुसार किसी आवेदक के संबंध में जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु आवेदक के विषय में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए 1359 फसली के राजस्व अभिलेख के साथ ही अन्य ऐसे अभिलेखों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आवश्यकतानुसार देखकर किसी व्यक्ति की जाति प्रमाणित की जानी चाहिए।

इस संबंध में जारी शासनादेश संख्या–724 सी.एम./26–3–1994–3(3)/90 दिनांक 26.10.1994 द्वारा अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्रवासित व्यक्तियों का अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किये गये हैं।

अतः कृपया उपर्युक्त शासनादेशों के परिप्रेक्ष्य में जाति प्रमाण पत्र बनाते समय सभी सुसंगत बिन्दुओं एवं संबंधित दस्तावेजों का भली भांति परीक्षण करके जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जायें और आवेदकों द्वारा नाम के समक्ष लगायी जा रही किसी प्रकार की उपाधि अथवा टाइटल को जाति निर्धारण हेतु आधार न माना जाए।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(सदाकान्त)
प्रमुख सचिव

कार्यालय जिलाधिकारी, बदायूँ।

पत्रांक 262 / सा0क0/2 दि0: 01–12–12

प्रतिलिपि जिला समाज कल्याण अधिकारी, समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद बदायूँ को नियमानुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी (प्र0)
बदायूँ